झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान सभा

राँची नगर निगम (अंगीकरण एवं संशोधन) विधेयक, 2001

[सभा द्वारा यथापारित]

राँची नगर निगम (अंगीकरण एवं संशोधन) विधेयक, 2001
(सभा द्वारा यथा पारित)

विषय –सूची

धारा	विवरण
	प्रस्तावना
1– 2– 3–	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
4–	स्थानों का आरक्षण ।
5–	वार्ड का गठन
6–	मतदाताओं की अर्हता एवं निरर्हता ।
7–	उम्मीदवारों की अर्हता ।
8–	सदस्यता के लिए निरर्हताऐं
9–	निर्वाचन के संचालनके लिए प्रशासनिक तंत्र
10–	निर्वाचन की अधिसूचना एवं पार्षदों के नाम का प्रकाशन ।
11–	निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल ।
12–	महापौर एवं उप-महापौर का निर्वाचन।
13–	महापौर एवं उप-महापौर की अर्हताऐं पदावधि एवं महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ।
14–	जिला योजना समिति का गठन, कार्य, अध्यक्ष का निर्वाचन, कर्त्तव्य, आदि का निर्धारण।
15–	बिहार अधिनियम, 13, 1952 की धारा 71 का विलोपन ।
16–	बिहार अधिनियम, 13, 1952 की धारा 110 का विलोपन ।
17–	राज्य वित्त आयोग ।
18–	पथों पर अवरोध पैदा करने वाली संरचनाओं के निर्माण पर रोक ।
19–	बिहार अधिनियम, 13, 1952 का विलोपन ।
20–	अर्थ दण्ड की सजा ।
21–	कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा ।
22–	पटना के जिला न्यायाधीश के स्थान पर राँची के न्यायायुक्त प्रतिस्थापित किया जाना।
23–	बिहार अधिनियम, 13, 1952 की धारा 546 का विलोपन ।

राँची नगर निगम (अंगीकरण एवं संशोधन) विधेयक, 2001

प्रस्तावना।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0- 30, 2000) के भाग- (ii) की धारा (3) के अधीन दिनांक 15.11.2000 से झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप स्थानीय स्वशासी सरकार की जीवंत संस्था के रूप में कार्यकारी बनाने हेतु 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में समागत प्रयोजनों, सारभूत तथ्यों और दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए राँची नगर निगम को इस राज्य के हित में संशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ पटना नगर निगम अधिनियम,1951 (बिहार अधिनियम, 13, 1952) को अंगीकार करना नितान्त आवश्यक है ताकि ऐसे कार्यों एवं शक्तियों से सम्पन्न करने के लिए वे स्थानीय स्वशासी सरकार की जीवंत संस्थाओं के रूप में प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सके और निश्चितता, निरन्तरता एवं लोकतांत्रिक भावना और मर्यादा प्रदान करने के अतिरिक्त अपने कार्यों के प्रबंधन एवं संचालन में शहरी लोगों की अधिकाधिक भागीदारी की प्राप्ति हेतु राँची नगर निगम (अंगीकरण एवं संशोधन) विधेयक, 2001 को प्रतिस्थापित करना समीचीन एवं आवश्यक समझा गया है ।

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

(1) अधिनियम राँची नगर निगम (अंगीकरण एवं संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार राँची नगर निगम में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रभावी होगा ।

2- अबसे पटना नगर निगम अधिनियम, 1951, राँची नगर निगम अधिनियम,2001 कहा जायेगा।

3- पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 (बिहार अधिनियम, 13, 1952) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 4 का संशोधन । उक्त अधिनियम की धारा 4 में (1) खण्ड (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा

(ख) व्यस्क से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है।

(ii) खण्ड (घ, क) में निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा- ''पिछड़े वर्गों'' से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है, वे सभी वर्ग जिनका उल्लेख झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में है ।

(iii) खण्ड (डब्लू डब्लू) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा. यथा- दण्डाधिकारी के अन्तर्गत है राँची का उपायुक्त , राँची के सदर अनुमंडल के भारसाधक दण्डाधिकारी तथा उपायुक्त के अधीनस्थ कोई अन्य दण्डाधिकारी जिसे उपायुक्त ने इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कर्त्तव्य सौंपा हो।

4- बिहार अधिनियम, 13, 1952 की धारा 8 का संशोधन 1- उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा- (2) में :-

(i) खण्ड (घ) के अंत में पूर्ण विराम ''।'' के स्थान पर अर्द्ध विराम '' ; '' के प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) खण्ड (घ) में निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा - "परन्तु यह कि खंड (क) , (ख) एवं (ग) के अधीन स्थानों का आरक्षण राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण में उपायुक्त द्वारा किया जायेगा।"

5- विहार अधिनियम, 13, 1952 की धारा 9 का प्रतिस्थापन - 1- उक्त अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा -

"9- वार्ड का गठन । -

(1) नगर निगम के पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ उपायुक्त राज्य सरकार द्वारा यथा विहित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में नगर निगम के क्षेत्र को वार्ड के रूप में ज्ञात प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथा सम्भव सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र में समरूप हो ।"

(2) राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इस विचार का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है तो उप-धारा (1) के अधीन स्थापित किसी वार्ड को वैधानिकता एवं औचित्य का पुर्नविलोकन कर सकेगा और इस निमित सुसंगत अभिलेखों की मॉग कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उचित एवं युक्तियुक्त समझे ।

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नगर निगम के निर्वाचन की तिथि अधिसूचित किये जाने के पश्चात् आयोग ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगा ।

6. उक्त अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा-

" 11- मतदाताओं की अर्हता एवं निरर्हता-"

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें निर्वाचक नामावली की तैयारी के वर्ष में 1ली जनवरी

की 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और वह साधारणतया राँची नगर निगम क्षेत्र का निवासी है पार्षदों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य होगा ।

(2) उपधारा- (1) में किसी बात के होतेहुए भी किसी व्यक्ति को नगर निगम क्षेत्र में मत प्रदान करने से निरर्हित किया जायेगा, यदि -

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित का न्याय निर्णीत है या

(ग) तत्समय प्रवृत किसी विधि के द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो या

(घ) उसका नाम तत्संबंधी वार्ड की निर्वाचक नामावली में अंकित नहीं है।

7. बिहार अधिनियम, 13, 1952 की धारा 13 का प्रतिस्थापन :-

उक्त अधिनियम की धारा- 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा-

13- उम्मीदवारों की अर्हता- । -

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो नगर निगम क्षेत्र का निवासी है और जिसका नाम नगर निगम के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में नामांकित है , वार्ड आयुक्त के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए योग्य होगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जबतक वह इस अधिनियम का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, किसी वार्ड आयुक्त के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए योग्य होगा ।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का उम्मीदवार नहीं होगा ।''

(3) इक्कीस (21) वर्ष की आयु प्राप्त मतदाता वार्ड आयुक्त के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये योग्य होगा ।

8. विहार अधिनियम , 13, 1952 की धारा-14 का प्रतिस्थापन 1-

उक्त अधिनियम की धारा-14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

14- सदस्यता के लिए निरर्हताऐं- इस अधिनियम में किसी वात के होते हुए भी कोई व्यक्ति नगर निगम के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के वाद अपने पद पर वने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि ऐसा व्यक्ति -

(क) भारत का नागरिक न हो,

(ख) जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् तत्समय प्रवृत सिविल सेवा आचरण नियमावली के अधीन या नशीले पदार्थो के उपयोग या विक्रय का विषय से संवंधित किसी विधि के अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जवतक कि उसके दोष सिद्ध होने की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि जो सरकार द्वारा किसी विशिष्ट मामले में निर्धारित करें, व्यतीत न हो चुकी हो।

(ग) जो पागल हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो,

(घ) जो दिवालिया घोषित हो,

(ङ) जो किसी शहरी स्थानीय निकाय के अधीन कोई लाभकारी पदधारक हो, या किसी स्थानीय प्राधिकारी की, या किसी सहकारी समिति की या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार , या केन्द्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत हो,

(च) जो राज्य सरकार की या केन्द्र सरकार की या किसी नगर निकाय की या किसी अन्य प्राधिकार या किसी सहकारी समिति की या किसी केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा कर्त्तव्यहीनता के कारण अपदस्थ कर दिया गया हो,

(छ) जो नगर निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी और से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता हो,

किन्तु यह किसी भी व्यक्ति को केवल इस कारण से अयोग्य हुआ नहीं समझा जायेगा , यदि -

(i) किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी में उसका अंश, तत्समय प्रवृत राज्य के सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन निर्वाचित किसी संस्था में या सरकारी समिति में जो नियम के साथ संविदा करेगी या जिसे निगम द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जायेगा, उसका कोई अंश या हित है, या.'

(ii) ऐसा किसी समाचार पत्र में जिसमें निगम के कार्यकलाप से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसका कोई अंश या हित है, या

(iii) वह निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई डिवेंचर धारित करता है या निगम द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी उधार से अन्यथा संबंधित है ।

(ज) राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया है ,

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने (21) इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा कि उसकी आयु (25) पच्चीस वर्ष से कम है ।

(झ) भारत के भीतर या बाहर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीने से अधिक अवधि के लिये कारावास का दंड पा चुका हो, कदाचार के लिये दंड प्रक्रिया संहिता- 1973 अधिनियम-2, 1947 की धारा 109 या 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और आदेश अपीलीय न्यायालय से निरस्थ नहीं हो गया हो।

(ञ) यदि उसने निर्वाचन के तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्त तक के नगर निगम के करों, जो उससे प्राप्त हो, का भुगतान नहीं कर दिया हो।

9. विहार अधिनियम- 13, 1952 की धारा 14 अ के वाद नई धारा का अंतः स्थापना। उक्त अधिनियम की धारा- 14 अ के वाद निम्नलिखित नई धारा अंतः स्थापित की जायेगी; यथा-

"14- आ निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तंत्र" । -

(1) राज्य सरकार जव ऐसी अपेक्षा की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग को नगर निगम का निर्वाचन कराने के निमित पदाधिकारियों एवं कर्मचारी वृन्द की सेवायें उपलब्ध करायेगी ।

(2) नगर निगम के निर्वाचन के संचालन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग उपायुक्त को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदानिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिये एक या अधिक जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी को पदानिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जो उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो :

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निर्वाचन के संचालन के संवंध में सभी कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर निगम के निर्वाचन के निमित निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो उप-समाहर्ता से अन्यून स्तर का हो ।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को उसके कृत्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा ।

(5) जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार के अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी प्रथम परंतुक के अधीन ऐसे व्यक्ति की, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचना देगा।

परंतु यह और भी कि वह मतदान पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी के सभी या कोई भी कृत्यों का पालन करेगा ।

(6) यदि पीठासीन पदाधिकारी रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिये बाध्य हो तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिये जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(7) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाये रखे और देखें कि मतदान उचित रूप से संचालित हो रहा है ।

(8) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारियों का उसके कृत्यों के पालन में सहायता करे।''

10. बिहार अधिनियम 13, 1952 की धारा - 15 का प्रतिस्थापन-

उक्त अधिनियम में धारा- 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

''15- निर्वाचन की अधिसूचना एवं पार्षदों के नाम का प्रकाशन ''-

(1) अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बने नियमों के अध्यधीन राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर, नगर निगम को गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिये तिथि या तिथियों को नियत कर राजपत्र में अधिसूचित करेगाः-

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह से पहले नहीं निर्गत की जा सकेगी।

(2) निर्वाचित या प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षदों का नाम राजपत्र में शीघ्र प्रकाशित किया जायगा ।

11. बिहार अधिनियम, 13, 1952 की धारा 16 के बाद एक नई धारा का अंतः स्थापना :-

उक्त अधिनियम की धारा 16 के बाद निम्नांकित नई धारा का अंतः स्थापित की जायेगी , यथा-

16-अ- निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल- (1) नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल उनके निर्वाचन के उपरांत निगम की प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्ष तक का होगा ।

12. (1) पटना नगर निगम अधिनियम- 1951 (बिहार अधिनियम-13,1952 की धारा-19 का प्रतिस्थापन -

उक्त अधिनियम की धारा- 19 के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

19. महापौर एवं उप महापौर का निर्वाचन (1) महापौर/उप-महापौर का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

(2) अपने पद से हटने वाला महापौर/उप-महापौर पुनः-निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) किसी प्रकार के निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों और इसके आलोक में बनायी गयी नियमावली के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(4) यदि उपमहापौर, महापौर के पद पर निर्वाचित हो गया हो तो उप-महापौर के पद की रिक्ति उसी तिथि से होगी जिस तिथि से वह महापौर का पद ग्रहण करे ।

(5) यदि महापौर किसी कारणवश अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो अथवा किसी कारणवश उक्त पद रिक्त हो तो इसके समस्त कर्त्तवयों का पालन यथासिथति महापौर के कार्यभार संभालने या रिक्त स्थान की पूर्ति तक उपमहापौर करेगा।

13. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा- 19 के उपरान्त नई धाराओं का अंतस्थापन उक्त अधिनियम की धारा- 19 के उपरानत नई धाराऐं अंतःस्थापित की जायेगी, यथा-

19.अ- महापौर तथा उपमहापौर की अर्हतायें कोई भी व्यक्ति महापौर के पद पर निर्वाचन के लिए अर्हर्त न होगा ।

(क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है ।

(ख) यदि उसकी आयु (30) वर्ष की नहीं हो गयी हो ।

(ग) यदि वह सभासद के रूप में निर्वाचित होने के निमित अर्हर्त है, अथवा

(2) कोई व्यक्ति जो निगम का सभासद नहीं है, उपमहापौर के पद पर निर्वाचन के लिए पात्र न होगा ।

19. आ- महापौर एवं उप-महापौर की पदावधि -

(1) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के अतिरिक्त -

महापौर/उपमहापौर की पदावधि - (1) निगम के कार्यकालके साथ-साथ समाप्त होगी।

(2) किसी आकस्मिक पद की पूर्ति के निमित्र निर्वाचित महापौर या उपमहापौर की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिए ही होगी।

(3) महापौर या उप-महापौर जबतक कि वह अपना पद त्याग नहीं कर देता अथवा उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा ।

19.ई- महापौर/उप-महापौर के विरूद्ध अविस्वास प्रस्ताव -

(1) महापौर के विरूद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव केवल इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(2) महापौर/उपमहापौर के पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर इस धारा के अधीन अविश्वास के किसी प्रस्ताव की सूचना नहीं प्राप्त की जा सकेगी।

(3) महापोर/उपमहापौर के नियम के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव - लिखित रूप में नगर निगम की कुल सदस्य संख्या के आधे से अन्यून न हो, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना के साथ प्रस्ताव की एक प्रति सहित हस्ताक्षर कर्त्ता सदस्यों में से किन्हीं दो सदस्यों द्वारा प्रमण्डल के आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रमण्डल का आयुक्त इस प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने के लिये एक अधिवेशन संयोजित करेगा, जो उस तिथि और समय पर होगा, जिसे वह नियत करे और जो उस तिथि से जिसपर उसे सूचना दी गयी थी,30 दिन के पूर्व तथा 35 दिन के बाद न होगा। वह अधिवेशन के दिन से कम से कम सात दिन पूर्व निगम के प्रत्येक सदस्यों के निवास पर या ऐसे अधिवेशन तथा तदर्थ नियत तिथि एवं समय की सूचना भेजेगा तथा साथ ही साथ उस सूचना को ऐसी रीति से प्रकाशित करवायेगा जिसे वह उचित समझे । तत्पश्चात् प्रत्येक सदस्य के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसे सूचना प्राप्त हो गयी है ।

(5) जिला न्यायाधीश अथवा नयायायुक्त इस धारा के अधीन संयोजित बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा कोई अन्य व्यक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकेगा। यदि अधिवेशन के लिये नियत समय से आधे घंटे के भीतर जिला न्यायाधीश अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो अधिवेशन उस तिथि एवं समय के लिये स्थगित हो जायेगा जो उपधारा (9) के अधीन जिला न्यायाधीश या न्यायायुक्त नियत करेगा।

(6) यदि जिला न्यायाधीश/ न्यायायुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को उल्लिखित करने के पश्चात उसे किसी अन्य तिथि और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चय करे । किन्तु

यह तिथि उपधारा (4) के अधीन अधिवेशन के लिये नियत तिथि से पन्द्रह दिन से अधिक न होगा । वह अविलंब ही प्रमंडल के आयुक्त के अधिवेशन के स्थगन की सूचना देगा । यह आवश्यक नहीं है कि स्थगित अधिवेशन के संबंध में तिथि और समय की सूचना सदस्यों को व्यक्तितः ही दी जाय, किंतु प्रमंडल के आयुक्त और उपधारा (4) में व्यवस्थित रीति के अनुसार स्थगित अधिवेशन की तिथि और समय की सूचना का प्रकाशन करेगा।

(7) उपधारा (5) एवं (6) में की गयी सभी व्यवस्था को छोड़कर इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर विचार करने के लिये संयोजित कोई भी अधिवेशन किसी अन्य कारण वश स्थगित नहीं किया जायेगा।

(8) इस धारा के अधीन संयोजित अधिवेशन के प्रारंभ होते ही जिला न्यायाधीश/ न्यायायुक्त उपस्थिति सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिए अधिवेशन संयोजित किया गया हो तथा उस प्रस्ताव को वाद-विवाद के निमित प्रस्तुत घोषित करेगा ।

(9) इस धारा के अधीन किसी भी प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित नहीं किया जायेगा।

(10) ऐसा वाद-विवाद, जबतक कि वह पहले ही समाप्त न हो जाय, अधिवेशन आरम्भ होने के नियत समय से तीन घंटों की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगा । यथास्थिति वाद-विवाद की समाप्ति अथवा उक्त तीन घंटों की समाप्ति पर यह प्रस्ताव निगम के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(11) जिला न्यायाधीश/न्यायायुक्त न तो प्रस्ताव के गुण-दोषों पर भाषण दे सकेगा और न उसे उस पर मतदान का अधिकार होगा ।

(12) अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात् जिला न्यायाधीश/ न्यायायुक्त अधिवेशन के कार्य विवरण की एक प्रति प्रस्ताव व उस पर मतदान के फल की एक प्रति के सहित तुरंत महापौर तथा प्रमंडल के आयुक्त को अग्रसारित करेगा।

(13) उपधारा (12) में उल्लिखित प्रतियों की प्राप्ति के पश्चात् तीन दिन के बाद यथाशीघ्र प्रमंडल का आयुक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में इस

आख्या के सहित कि महापौर ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार त्याग-पत्र अग्रसारित किया है या नहीं, उन प्रतियों को राज्य सरकार को भेज देगा।

(14) प्रस्ताव तभी सफल समझा जायेगा, जबकि वह निगम के कुल सदस्यों की दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया गया हो ।

(15) यदि प्रस्ताव उपयुक्त प्रकार से पारित न हो, अथवा गणपूर्ति, जो कि तत्समय निगम के सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई से अन्यून होगा, के अभाव में अधिवेशन ही न हो सके, तो अधिवेशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसी महापौर/उपमहापौर के विरूद्ध अविश्वास के किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव की सूचना स्वीकार नहीं की जायेगी ।

(16) इस धारा के अनुसार महापौर के संबंध में अविश्वास का प्रस्ताव पारित और संदिष्ट हो जाने पर महापौर -

(क) ऐसा संदेश पाने के तीन दिन के भीतर इसका पद त्याग देगा, तथा

(ख) ऐसे संदेश के पाने के तीन दिन की समाप्ति पर महापौर के रूप में काम करना रोक देगा ।

(17) उपधारा (16) के खंड (क) के अनुसार महापौर के उस उपधारा में मिली हुई अवधि के भीतर पद त्याग करने में असफल रहने पर, राज्य सरकार आज्ञा में निर्दिष्ट तिथि से उसे हटा देगी तथा इस प्रकार हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं कोई बात होने पर भी अनुगामी सामान्य निर्वाचन पूर्व होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए पुनः निर्वाचित होने के लिये पात्र न होगा।

(18) इस धारा के उपबंधों के अधीन निगम के किसी सदस्य, प्रमंडल के आयुक्त, जिला न्यायाधीश/न्यायायुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा की गयी किसी बात के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा ।

14. बिहार अधिनियम 13, 1952 की धारा 41-आ के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, यथा -

"जिला योजना समिति का गठन, कार्य, अध्यक्ष का निर्वाचन, कर्त्तव्यों आदि का निर्धारण , झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 की धारा- 123 के प्रावधानों के अनुसार होगा । "

15. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा 71 का विलोपन 1- उक्त अधिनियम की धारा 71 को विलोपित किया जायेगा ।

16. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा- 110 का विलोपन । उक्त अधिनियम की धारा 110 को विलोपित किया जायगा ।

17. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा 123-आ के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा :-

123-आ- वित्त आयोग (1) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 (झारखण्ड अधिनियम-6, 2001) की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार गठित वित्त आयोग नगर निगम के लिये भी वित्त आयोग होगा और राज्य सरकार को अनुशंसा करेगा।

18. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा- 258 के बाद एक नई धारा का अंतः स्थापना।- उक्त अधिनियम की धारा 258 के बाद एक नई धारा अंतः स्थापित की जायेगी,यथाः-

258-अ - पथों पर अवरोध पैदा करने वाली संरचनाओं के निर्माण पर रोक । कोई भी व्यक्ति, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी पथ पर कोई दीवार, चाहरदीवारी, स्तंभ, सीढ़ी, स्वागत द्वार, समियाना या कोई अन्य संरचना अस्थायी या स्थायी रूप में खड़ा या स्थापित नहीं कर सकेगा, और न ही किसी खुली नाली, प्रणाल, कुआँ, तालाब आदि के उपर किसी प्रकार की संरचना या अन्वायुक्ति खड़ा या स्थापित कर सकेगा जो अवरोध उत्पन्न करता हो या किसी प्रकार से बाधा पहूँचाता हो ।

19. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा 534 के विलोपन । - उक्त अधिनियम की धारा 534 को विलोपित किया जायेगा ।

20. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा 541 के संशोधन । उक्त अधिनियम की धारा 541 में शब्द भंग करने पर के बाद अंक 200 के स्थान पर अंक रू0- 2000/- तक तथा शब्द दण्डनीय होगा जो के बाद अंक 25 के स्थान पर अंक रू0- 250/- तक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

21. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा- 541 के वाद एक नई धारा का अंतः स्थापन- उक्त अधिनियम की धारा 541 के वाद एक नई धारा अंतः स्थापित की जायेगी, यथाः-

541-अ- अधिनियम की धारा 240, 258 एवं 258अ के प्रावधानों का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड संहिता- 1973 के अधीन संज्ञेय अपराध माना जायेगा एवं ऐसे अपराधों के लिए तीन माह तक के कारावास या 2000/- रू0 तक के अर्थदण्ड की सजा दी जा सकेगी।

परन्तु इस अपराधों के लिये कोई शिकायत तबतक दर्ज नहीं की जायेगी, जबतक महापौर प्रशासक की पूर्व स्वीकृति नहीं ले ली गयी हो ।

22. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा- 544 का संशोधन उक्त अधिनियम की धारा- 544 में :-

(i) उपधारा (1) में शब्द ''किसी समय'' के वाद पटना के जिला न्यायाधीश के स्थान पर शब्द'' राँची के न्यायायुक्त'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ii) उपधारा (2) में शब्द ''जॉच-पड़ताल'' के पश्चात् शब्द जिला न्यायायुक्त के स्थान पर शब्द ''न्यायायुक्त'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) उपधारा (3) में शब्द ''जिला न्यायाधीश'' के स्थान पर शब्द ''नयायायुक्त'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा -

(4) ''राँची के न्यायुक्त शब्दं में तत्काल राँची के न्यायायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति समाविष्ट है। ''

23. विहार अधिनियम 13, 1952 की धारा 546 का विलोपन उक्त अधिनियम की धारा- 546 को विलोपित किया जायेगा ।

यह विधेयक राँची नगर निगम (अंगीकरण एवं संशोधन) विधेयक, 2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 को झारखण्ड विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष।